नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2025-26/57184

जारी दिनांक: 08-AUG-2025 वैधता दिनांक: 07-AUG-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PRATEEK AGRAWAL

आवेदक का पता: 756 PRATAPNAGAR DADABADI KOTA

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **CENTRAL ACADEMY KAVSS, NEAR, CHHOTA CHOURAHA, DADABARI, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह **अस्थाई** (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैद्यता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैद्यता दिनांक से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदित भवन/ईमारत का निर्माण स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
3. भवन/ईमारत में भवन की प्रकृति के अनुरूप फायर हाइड्रेन्ट, वेट–राइजर सिस्टम मय होज रील, होज–पाइप, आपातकालीन बचाव की सीढिया/आपातकालीन निकास द्वार (फायर एस्केप), हीट डिटेक्टर्स एवं बीम डिटेक्टर्स फायर सेपरेान सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रुम, स्मोक डिटेक्टर, फायर एलार्म सिस्टम, अग्नि सुरक्षा के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टेंक मोडूलर, पोर्टेबल फायर उपकरण आदि नेानल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होगे।
4. बहुमंजिला भवनो मे फायर वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.60 मीटर चौडा सुरक्षित गलियारा भवन के चारों और बिना अवरोध छोडा जाना अनिवार्य होगा। गलियारो मे किसी भी प्रकार की पार्किंग व अस्थाई निर्माण आदि निशेद होगा यदि 4.50 मीटर चौडा रेम्प सैटबैक मे बनाया जाता है जो कि किसी भी तरह से बन्द ना हो एवं प्रवे और निकास हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे फायर वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
5. भवन/परिसर की ऊचाई आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र व प्रस्तुत मानचित्र (आर्किटेक प्रमाणित द्वारा वर्तमान में निर्मित या प्रस्तावित या यूआईटी/निगम/रीको विभाग) से स्वीकृत नक्शे में अंकितानुसार मानी जावेगी।
6. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अभिंशा पत्र हेतु स्वीकृत नक्षे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि/फ्लेट रहवासी संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते है तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होगें।
8. आवेदक का फायर एन.ओ.सी. राि तथा फायर सुविधा उपलब्ध एंव भुद्विकरण राि/फायर सेस एवं फायर से संबधित अन्य कोई राि यदि बकाया रहता है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी समय–समय पर परिपत्र अनुसार गणना की जाकर नियमानुसार राि जमा कराया जाना होगा। इसके अभाव में यह अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिंशा पत्र निरस्त माना जावेगा ।
9. फायर प्रिवेनन, फायर प्रोटेक्नन हेतु नेानल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे इस हेतु पुनः आवेदन कर निमयानुसार मौका निरीक्षण पचात् स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम स्वतंत्र रहेगा।

Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 08/08/2025 14:22:03

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

10. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पचात या निमार्ण कार्य पूर्ण होने के पचात् स्थाई अग्निामन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिर्वाय होगा एवं यदि कोई अग्निामन प्रावधानों में त्रृटि/कमी पाई जाती है तो राज्य सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त भासन विभाग के द्वारा जारी आदे क्रमांक प.17 (7) नविवि/नियम/2020 दिनांक 21.01.2020 के नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/7(एफ) के अन्तर्गत सीज के अन्तर्गत भवन को सीज किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 08/08/2025 14:22:03

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण

APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 57184 Dated: 8/8/2025

Certified that the ......Central Academy/KAVSS...... (name of the building or premises) at ......Dadabari, Kota...... (address) comprised of ......NO...... basement(s) and ......G+2 / 3 Block...... (upper floors) owned/ occupied by Prateek Agrawal Member Kendriya Academy Vidyalaya Shiksha Samiti (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on ......4/08/2025...... (date of inspection) in the presence of .... (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes ......XII...... (X/ XII) With effect from ......8/8/2025...... for a period of .... year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1.
2.
3.
4.

Issued on ......08/08/2025...... (date of issue) at ......Nagar nigam kota (South)...... (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: ....

Name: RAKESH VYAS

Designation: Chief fire officer

Name & Address of Department/ Office: ....

Nagar nigam Kota (South.)

To

......Central Academy /KAVSS......

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to ......fully operational of fire fightings systems, good condition of fire extinguisher...... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**